



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सहसमीक्षक के रूप में व्यक्तिगत / फर्म बीमांकक की नियुक्ति के लिए के लिए

सीमित निविदा प्रस्ताव

एल टी ई संदर्भ संख्या : ई सी जी सी / ए सी टी एल / पी आर / 2022

दिनांक- 22.02.2022

ईसीजीसी लिमिटेड

एक्सप्रेस टॉवर, 10वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021

विषय-सूची

भाग - 1	3
भाग - 2	6
भाग - 3	7
भाग - 4	19

भाग -1

1. परिचय

1.1 बोलिकर्ताओं को आमंत्रण

“वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सहसमीक्षक के रूप में बीमांकक व्यक्तिगत / फर्म की नियुक्ति” के लिए सीमित निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जाती हैं। इस सीमित निविदा जांच ('एलटीई') दस्तावेज़ के माध्यम से (इसे आगे बोली दस्तावेज़ या 'एलटीई दस्तावेज़' के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा) ईसीजीसी लिमिटेड ('ईसीजीसी / एक कंपनी') के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हैं, जो परामर्शदाता (बोलिकर्ता के रूप में संदर्भित) से प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित करती है।

सहायक दस्तावेजों के साथ "तकनीकी और मूल्य / वाणिज्यिक बोली" भौतिक रूप में प्राप्त की जाएंगी।

बोलिकर्ता (ओं) कृपया इस एल टी ई दस्तावेज़ का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। ऐसा माना जाएगा कि बोलिकर्ता (ओं) द्वारा एल टी ई दस्तावेजों में निहितार्थ आशय की पूरी समझ के साथ सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण के बाद बोली प्रस्तुत की गई है।

एल टी ई दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना आवश्यकत है। अधूरी जानकारी के कारण बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है। अपने विवेकाधिकार से इस एल टी ई दस्तावेज़ में उल्लिखित तिथियों को बदलने का अधिकार कंपनी अपने पास सुरक्षित रखती है, जिसे बोलिकर्ताओं को सूचित किया जाएगा एवं कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस एल टी ई दस्तावेज़ के जवाब में बोलिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति होगी एवं यह वापस नहीं की जाएगी। इस एल टी ई दस्तावेज़ में संशोधन करने, रद्द करने या पुनः जारी करने

का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है, संशोधन या परिवर्तन, यदि कोई हों केवल ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

1. कार्यक्रम सूची

1	बोली प्रक्रिया शुरू होने की तिथि (यानी ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर एल टी ई दस्तावेज़ की पोस्टिंग)	22 फरवरी 2022
2	बोलीकर्ताओं से स्पष्टीकरण के लिए ईमेल के माध्यम से प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि	25 फरवरी 2022
3	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रश्नों के स्पष्टीकरण जारी करने की कटऑफ तिथि	4 मार्च 2022
4	बोलीकर्ताओं से आगे के प्रश्न, यदि कोई हों, प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10 मार्च 2022
6	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बोलीकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देना।	18 मार्च 2022
7	तकनीकी और वित्तीय बोली सहित बोली दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि	25 मार्च 2022
8	बोली खोलने की तिथि	30 मार्च 2022
9	बोली की वैधता अवधि	बोली जमा करने के की अंतिम तिथि के बाद साठ दिन (60 दिन)
10	एल टी ई दस्तावेज़ उपलब्धता	एल टी ई दस्तावेज़ ईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी।

नोट: समय सीमा ईसीजीसी लिमिटेड के पूर्ण विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है

संपर्क करने एवं बोली जमा करने का पता	बीमांकिक विभाग ईसीजीसी लिमिटेड, 10 वी मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर, एयर इंडिया बिल्डिंग के बगल में, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
इस एल टी ई दस्तावेज़ से संबंधित सभी पत्राचार / प्रश्न केवल निम्नलिखित ई-मेल आईडी के माध्यम से होना चाहिए।	actuarialdepartment@ecgc.in
दूरभाष नंबर मोबाइल नंबर	022-66590576,66590544 9167602386

भाग -2

2. अस्वीकरण

ईसीजीसी द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज़ के रूप में बोलीकर्ताओं को बाद में प्रदान की गयी जानकारी इस एल टी ई दस्तावेज़ में निर्धारित सभी शर्तों एवं नियमों एवं सभी निबंधन एवं शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

यह एल टी ई दस्तावेज़ न तो एक समझौता है और न ही एक प्रस्ताव है, यह केवल कंपनी द्वारा इच्छुक पार्टियों द्वारा बोली जमा करने के लिए एक आमंत्रण है। इस एल टी ई दस्तावेज़ का उद्देश्य बोलीकर्ताओं को उनकी बोली तैयारी में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

यह एल टी ई दस्तावेज़ प्रत्येक बोलीकर्ताओं के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल होने का दावा नहीं करता है। ईसीजीसी इस एल टी ई दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के किसी भी कानून, संविधि, नियमों या विनियमों के अधीन उत्तरदायी नहीं है, ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से बिना किसी दायित्व के इस एलटी ई दस्तावेज़ में दी गई जानकारी को अद्यतित, संशोधित या पूरक कर सकता है।

इस एल टी ई दस्तावेज़ के जबाब में प्राप्त किसी भी या सभी बोली/ प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए किसी किसी भी स्तर पर अस्वीकार करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है। इस संदर्भ में ईसीजीसी का निर्णय सभी पक्षों के लिए अंतिम, निर्याणक एवं बाध्यकारी होगा। इस सीमित निविदा जांच दस्तावेज़ के जबाब में बोलीकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति है एवं वापस नहीं किया जा सकता है। एल टी ई प्रक्रिया में कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि चयनित बोलीकर्ता के साथ ईसीजीसी के विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादित किया जाता है।

भाग -3

3. बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश

3.1. सामान्य निर्देश

3.1.1 बोलीकर्ता से अनुरोध है कि बोली जमा करने से पहले ईसीजीसी की वैबसाइट <https://www.ecgc.in> पर अनुलग्नक -8 एवं सामान्य शर्तों के तहत प्रदान किए गए मसौदा समझौते सहित सम्पूर्ण एल टी ई दस्तावेज़ की सावधानीपूर्वक जांच करें एवं उक्त में निहित अनुबंध की किसी भी शर्तों के बीच कोई अस्पष्ट या विसंगति प्रतीत होती है, तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए मामले के साथ तत्काल ईसीजीसी को संदर्भित करें।

3.1.2 बोलीकर्ता को बोली के लिए एल टी ई दस्तावेज़ में संलग्न प्रपत्र(फार्मों) को सभी तरह से पूर्ण करना होगा एवं उपलब्ध कराए गए स्थानों पर मांगी गई जानकारी के अनुसार तारीख सहित हस्ताक्षर करना होगा। बोलीर को बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करना होगा।

3.1.3 बोली पर बोलीकर्ता द्वारा अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर की विधिवत रूप से सत्यापित करना होगा। एक निगमित निकाय के मामले में बोली पर निकाय द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। संघ के मामले में बोली पर संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर प्रत्येक सदस्य की मुहर लगाई जाएगी।

3.1.4 बोली संबंधी नोटिस, यदि कोई हो, देने के लिए बोली पर पता, दूरभाष, संपर्क नंबर, फ़ैक्स नंबर एवं ई-मेल आईडी होना चाहिए।

3.1.5 बोली प्रपत्र एवं उसमें जुड़े दस्तावेजों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रपत्र या उससे जुड़े दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन या विकृति(सभी रिक्त स्थानों को भरने के अलावा) किया जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों में प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन केवल एक अलग आवरण पत्र द्वारा किया जा सकता है अन्यथा बोली प्रक्रिया में उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 3.1.6** बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रक्रिया में उसकी भागीदारी पर ध्यान दिए बिना, दस्तावेजों में प्रदान किए विवरण को विशेषाधिकार प्राप्त एवं गोपनीय माना जाएगा।
- 3.1.7** बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा की उनकी बोली में कोई कटिंग, ओवर राइटिंग एवं अस्पष्ट या अवाच्य आकड़े नहीं हैं। केवल इसी आधार पर ऐसी सभी बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसीजीसी का निर्णय अंतिम एवं बोलीकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पष्ट या अनिर्वचनीय लागत/राशि को बोली में शामिल नहीं किया गया है, जो बोली को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- 3.1.8** प्रत्येक बोलीकर्ता केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है।
- 3.1.9** बोलीकर्ता को इसीजीसी द्वारा अनुबंध कि पूरी अवधि के लिए सहमत लागत और नियमों एवं शर्तों पर वांछित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- 3.1.10** आंशिक बोली को अस्वीकार कर खारिज कर दी जाएगी। बोलीकर्ता को कार्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए कोट करना होगा।
- 3.1.11** सभी दरें एवं कुल राशि अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिए तथा यदि दोनों में कोई विसंगति हो, तो न्यूनतम राशि ही स्वीकार कि जाएगी।
- 3.1.12** अनुलग्नकों में कोई प्रश्न या मद खाली या अनुत्तरित नहीं होना चाहिए। जहां कोई विवरण या उत्तर प्रदान नहीं करना है तो 'नहीं', 'शून्य', या 'लागू नहीं' कथन का उपयोग करना होगा। खाली कॉलम या अहस्ताक्षरित फॉर्म को आमतौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 3.1.13** एल टी ई कि आवश्यकताओं कि पुष्टि नहीं करने वाली बोलियों पर इसीजीसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि किसी भी समय एल टी ई के किसी भी आवश्यकता को माफ करने का अधिकार इसीजीसी के पास सुरक्षित है।
- 3.1.14** इसीजीसी द्वारा प्रदान कि गई निर्दिष्ट पते पर बोली प्राप्त होने चाहिए। बोली के आमंत्रण में 'विषय अनुसूची' में निर्दिष्ट तिथि एवं समय के बाद बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 3.1.15** डाक में देरी या छुट्टियों सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि के भीतर बोली प्राप्त न होने के लिए इसीजीसी कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।
- 3.1.16** बोली जमा करने कि समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी बोली वापस नहीं किया जा सकता है।
- 3.1.17** अपने विवेकाधिकार से बोली दस्तावेज़ में उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में संशोधन करके इसीजीसी द्वारा बोली जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, इस मामले

में ईसीजीसी एवं बोलीकर्ताओं के सभी अधिकार एवं दायित्व, जो समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद विस्तारित समय सीमा तक अधीन होंगे, जिसे ईसीजीसी के वैबसाइट पर सभी इच्छुक बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

3.1.18 एल टी ई प्रक्रिया या अनुबंध सौंपने के बाद यदि कोई भी सामाग्री गलत पाई जाती है तो, बोली सूचना को सत्यापित करने एवं किसी भी बोली को अस्वीकर करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है।

3.1.19 निम्नलिखित मामलों में बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है :-

- i. एल टी ई अनुसार बोली प्रस्तुत नहीं की गई है;
- ii. अपूर्ण प्रारूप में प्राप्त बोली;
- iii. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोली संलग्न नहीं है;
- iv. नियत तिथि के बाद प्राप्त बोली
- v.. एक अवांछित बोली

3.1.20. एक बार जमा की गई बोली को संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

3.1.21 बोलीकर्ता द्वारा अपनी बोली तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों का वहन

किया जाएगा एवं ईसीजीसी किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम कुछ भी हो।

3.2. कार्य का क्षेत्र

आई ए आई द्वारा जारी किए गए बीमांकिक अभ्यास मानक 33 के अनुसार बाह्य सह समीक्षक के कार्य को करने के लिए भारतीय बीमांकन संस्थान (आई ए आई) के स्थायी सदस्य के रूप में एक बीमांकन की सेवाओं को शामिल करने का ईसीजीसी का उद्देश्य है ।

आमतौर पर कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

सह समीक्षा में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन से संबन्धित कार्य के सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए । निम्नलिखित गैर-विस्तृत सूची में कुछ गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें सह समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया जाता है:

- i. यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा पर लागू जांचों की तर्कसंगतता की समीक्षा करना कि उक्त कार्य को करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय (डेटा सटीकता जांच) है।
- ii. गणनाओं पर लागू किए गए जांचबिन्दुओं की तर्कसंगतता की समीक्षा करना।
- iii. कार्य को रेखांकित करने वाली कार्यप्रणाली और मान्यताओं की समीक्षा।
- iv. परिणामों की तर्कसंगतता की समीक्षा।

- v. इस बात की समीक्षा करना कि आईएआई द्वारा व्यावसायिक आचरण मानकों, बीमांकिक पेशे मानकों और अन्य लागू नियामक और/या वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किस सीमा तक किया गया है।
- vi. कार्य के हिस्से से जुड़े संचार की स्पष्टता और/या गुणवत्ता की समीक्षा; और/या
- vii. इस बात की समीक्षा करना कि कार्य या आउटपुट के उपयोगकर्ता की जरूरतों और उचित अपेक्षाओं के लिए कार्य किस सीमा तक उपयुक्त है।

सुपुर्दगी योग्य:

सह समीक्षा रिपोर्ट

सह समीक्षक की रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट के रूप में होगी, जिसमें किए गए कार्य का सारांश होगा और उपयोग किए गए डेटा, अपनाई गई कार्यप्रणाली, किए गए अनुमान, मूल्यांकन के परिणाम और सह समीक्षक की राय को स्पष्ट रूप से बताते हुए होगा। सह समीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित खंड शामिल होंगे:

- i. परिचय
 - ii. राय
 - iii. डेटा संग्रह और सत्यापन
 - iv. कार्य प्रणाली
 - v. धारणाएं
 - vi. परिणामों की जांच
 - vii. सीमाएं
 - viii. सह समीक्षक की स्वतंत्रता की पुष्टि
 - ix. नियोक्ता के साथ पूर्व संबंधों का खुलासा
 - x. चर्चा, प्रतिक्रिया और अंतिम रूप देना।
- सहसमीक्षक की रिपोर्ट को ए ए को संबोधित करना होगा।

समय सीमा

सह समीक्षक को ईसीजीसी की संपूर्ण संतुष्टि के लिए अपेक्षित डेटा / रिपोर्ट / गणना प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के भीतर समयबद्ध तरीके से सभी पहलुओं में कार्य पूरा करना आवश्यक है।

3.3. प्रश्न

इस एलटीई दस्तावेज़ या चयन प्रक्रिया के किसी भी खंड के बारे में कोई संदेह / प्रश्न / संदेह रखने वाले बोलीकर्ता को एल टी ई दस्तावेज़ जारी होने के 7 दिनों के भीतर अनुबंध - 6 में संलग्न प्रारूप में अपनी प्रश्न भेजने होंगे। ईसीजीसी एल टी ई दस्तावेज़ के जारी होने से 7 दिनों की समय सीमा के बाद किसी भी संदेह / प्रश्न को स्वीकार करने या कोई स्पष्टीकरण देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एलटीई के खंड 1.2 में उल्लिखित ई-मेल आईडी के माध्यम से ही सभी प्रश्नों को संप्रेषित किया जाएगा।

ईसीजीसी द्वारा ई-मेल / वेबसाइट के माध्यम से लिखित रूप में स्पष्टीकरण / संशोधन जारी किया जाएगा एवं वह एल टी ई का हिस्सा बन जाएगा।

3.4. बोली दस्तावेज़

बोली दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

- i. तकनीकी बोली (अनुलग्नक -1 के तहत दिए गए फॉर्म के अनुसार)
- ii. मूल्य/वाणिज्यिक बोली (अनुलग्नक-4 के तहत दिए गए फॉर्म के अनुसार)
- iii. सभी अन्य / समर्थक दस्तावेज़ एवं संलग्नक संलग्न हैं।

बोलीकर्ता से बोली दस्तावेज़ में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेज़ के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या बोली दस्तावेज़ के लिए हर तरह से पर्याप्त रूप से उपयुक्त बोली प्रस्तुत करने में विफलता बोलीकर्ता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

3.5. बोली तैयार करना

3.5.1. बोली की भाषा

. बोलीकर्ता द्वारा तैयार की गई बोली , साथ ही बोलीकर्ता एवं कंपनी द्वारा संपर्क माध्यम से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज तथा सहायक दस्तावेज और मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3.5.2. बोली मूल्य

- i. कीमतों को केवल भारतीय रुपये में अनुबंध 4 में उद्धृत किया जाना है।
- ii. उल्लेखित मूल्य केंद्र / राज्य सरकार के सभी, करों (जीएसटी सहित) को छोड़कर होने चाहिए, जिन्हें लागू दरों पर स्रोत पर काटा जाएगा।
- iii. बोलीकर्ता द्वारा उल्लेखित मूल्य अनुबंध के तहत बोलीकर्ता के निष्पादन के दौरान स्थिर रहेंगे और अनुबंध की वैधता अवधि के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित किसी भी स्थिति में बदलाव के अधीन नहीं होंगे। केंद्र या राज्य सरकारों, या सांविधिक, अर्ध-सरकारी निकायों, या नियामकों द्वारा लगाए गए कर / शुल्क / लेवी / उपकर आदि वास्तविक के अनुसार लगाए जा सकते हैं, और उन्हें अलग-अलग करने की अनुमति है। उपरोक्त निर्दिष्ट अपवादों के अलावा, एक समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ जमा की गई बोली को गैर-प्रतिक्रियात्मक माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.5.3. बोलीकर्ता की पात्रता और योग्यता के साक्ष्य दस्तावेज़

अपनी बोली में अनुबंध को पूरा करने के लिए बोलीकर्ता की योग्यता के दस्तावेज़ी साक्ष्य केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब कंपनी इससे संतुष्ट हो।

3.6. बोली की वैधता की अवधि

- i. बोली खुलने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए बोली वैध रहेंगी। बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली की शर्तों के अनुसार बोली को 60 दिनों की वैधता प्रदान करें। उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के दौरान स्थिर रहेंगे जब तक कि कंपनी द्वारा इसकी सहमति न दी जाए।
- ii. असाधारण परिस्थितियों में, कंपनी समान नियमों और शर्तों पर बोली की वैधता अवधि में विस्तार के लिए बोलीकर्ता की सहमति मांग सकती है। सभी अनुरोध एवं उस पर प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी। इस बिंदु पर, एक बोलीकर्ता किसी भी भविष्य के

एल टी ई या किसी डिबारमेंट के जोखिम के बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है।

- iii. यदि आवश्यक हो, तो कंपनी बोली की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय नए कोट के लिए निर्णय का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.7. बोली का प्रारूप एवं हस्ताक्षर

3.7.1. प्रत्येक बोली दो हिस्सों में होगी

भाग I - तकनीकी बोली

भाग II - मूल्य/वाणिज्यिक बोली

- i. दोनों भाग दो अलग-अलग सीलबंद नॉन -विंडो लिफाफों में होने चाहिए जिनमें बोलीकर्ता का नाम और पता (वापसी का पता) लिखा हो, प्रत्येक पर "एलटीई विषय" के साथ-साथ "तकनीकी बोली" एवं "मूल्य/वाणिज्यिक बोली" जैसा भी मामला हो, लिखा होना चाहिए।
- ii. बोली को नहीं मिटने वाली स्याही से टाइप किया या लिखा जाएगा एवं बोलीकर्ता या किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोली पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या संशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पृष्ठों को प्रमाणित करेगा।
- iii. कोई भी इंटर-लाइनेशन, इरेज़र या ओवरराइटिंग तभी मान्य होगी जब वे बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हों। कंपनी अपने विवेकाधिकार पर उपरोक्त के अनुरूप नहीं होने वाली बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- iv. इस एल टी ई दस्तावेज़ के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज़, चाहे टाइप किए गए हों, नहीं मिटने वाली स्याही में लिखे गए हों, या असंशोधित मुद्रित साहित्य हो, सभी सुपाठ्य / पठनीय होने चाहिए। इस खंड के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा, और शुरुआत में इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- v. बोली A4 आकार के कागज़ों में होगी, जो सूचकांक के साथ क्रमांकित होगी और तकनीकी विशिष्टताओं के विवरण के साथ हाइलाइट की जाएगी। प्रस्तुत करने से पहले बोली को सुरक्षित तौर पर एस्पाइरल तरीके से बांधा जाना चाहिए। लूज सीट में जमा की गई बोली को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- vi. अतिरिक्त जानकारी: बोलीकर्ता अतिरिक्त जानकारी शामिल कर सकता है जो प्रस्ताव की बेहतर समझ के लिए आवश्यक होगी। इसमें आरेख, मैनुअल के अंश या अन्य

- व्याख्यात्मक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जो बोली को स्पष्ट और / या प्रमाणित करेंगे। यहां शामिल किसी भी सामग्री को विशेष रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए।
- vii. शब्दावली: प्रस्तावित सेवाओं या उत्पादों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी संक्षिप्ताक्षरों, परिवर्णी शब्दों और तकनीकी शब्दों की शब्दावली प्रदान करें। यह शब्दावली प्रदान की जानी चाहिए, भले ही इन शर्तों को उनके पहले उपयोग या बोली प्रतिक्रिया में कहीं और वर्णित या परिभाषित किया गया हो।

3.8. बोली जमा करना

3.8.1. बोली को सील एवं चिन्हित करना

- i. बोलीकर्ता को नॉन-विण्डो लिफाफो में “तकनीकी बोली ” एवं “मूल्य / वाणिज्यिक बोली” की एक-एक प्रति संलग्न कर इन दोनों नॉन-विण्डो लिफाफो को बोलीकर्ता का नाम और पता (वापसी का पता) लिखे हुए एक नॉन-विण्डो बाहरी लिफाफे में सील करना होगा।
- ii. उपरोक्त खंड 1 में वर्णित एवं चिन्हित नियमों के अनुसार बीड्स वाले अतिरिक्त लिफाफों को जमा करने के लिए दिए गए पते पर कंपनी को संबोधित करना होगा।
- iii. बाहरी लिफाफा में होगा:
 - क) धारा 1.2 में वर्णित पते पर कंपनी को सम्बोधन
 - ख) परियोजना का नाम
- iv. सभी लिफाफों पर बोलीकर्ता का नाम एवं पता होना चाहिए।
- v. यदि लिफाफा सील या चिन्हित नहीं है, तो बोली के गलत स्थान या समय से पहले खोले जाने के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

3.9. बोली में संशोधन एवं वापसी

- i. यदि बोलीकर्ता बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि दिखाने के बाद, बिडिंग प्रक्रिया से पीछे हटना चाहता है, तो किसी दंडात्मक कार्यवाही जिसके अंतर्गत भविष्य में एल टी ई / अनुबंध / व्यापार पर प्रतिबंध या वहिष्करण के बिना कंपनी को लिखित रूप से कारण बताकर ऐसा किया जा सकता है।

- ii. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोलीकर्ता लिखित रूप से उपयुक्त कारण बताकर किसी दंडात्मक कार्यवाही जिसके अंतर्गत भविष्य में किसी एल टी ई / अनुबंध / व्यापार पर प्रतिबंध या बहिष्करण के बिना कंपनी द्वारा बोली को बदलने या संशोधित करने को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने बोली को संशोधित या वापस लिया जा सकता है।
- iii. बोली जमा करने की निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित नहीं की जा सकती है।
- iv. बोली जमा करने की समय सीमा और बोली फॉर्म पर बोलीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई भी बोली वापस नहीं ली जा सकती है। इस अंतराल के दौरान किसी बोली को वापस लेने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भविष्य के किसी एल टी ई / अनुबंध / व्यापार पर प्रतिबंध या बहिष्करण शामिल है।

3.1. बोली को खोलना एवं मूल्यांकन

3.1.1. कंपनी द्वारा बोली को खोलना

- i. कंपनी के पास उपरोक्त निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा किए बिना सभी बोलीकर्ताओं से उनकी बोली प्राप्त के तुरंत बाद सभी या कुछ प्रतिक्रिया पत्रक, या यहाँ तक कि किसी को कोई कारण बताए बिना बीड्स को खोलने का एवं किसी भी या सभी बोलीर्स को उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ii. कंपनी अपने विवेकाधिकार से यदि उचित समझे तो बोलीर्स के नाम, बोली संशोधन या बोली वापसी और अपेक्षित दस्तावेजों की उपस्थिति या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य विवरणों की घोषणा कर सकती है।
- iii. भेजे गए बोली और संशोधनों, यदि कोई हो, जो बोली खोलने के समय नहीं खोली जाती हैं, उन पर किसी भी परिस्थिति में मूल्यांकन के लिए आगे विचार नहीं किया जाएगा। वापस ली गई बोली बिना खोले बोलीकर्ताओं को वापस कर दी जाएंगी।

3.10.2. प्रारंभिक मूल्यांकन

- i. सभी बीड्स पूर्ण हैं की नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या बीड्स आवश्यक प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं, एवं बीड्स आमतौर पर क्रम में हैं या नहीं आदि की जांच कंपनी द्वारा की जाएगी।
- ii. बीड्स के विस्तृत मूल्यांकन से पहले, कंपनी बोली दस्तावेज के लिए प्रत्येक बोली प्रतिक्रिया का निर्धारण करेगी। इन नियमों के अंतर्गत, एक उपयुक्त बोली वह है, जो बिना किसी विचलन के बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप है।
- iii. किसी बोली की प्रतिक्रिया के बारे में कंपनी का निर्धारण बिना किसी बाहरी साक्ष्य के बोली की सामग्री पर ही आधारित होगा।
- iv. यदि कोई बोली उपयुक्त नहीं है, तो इसे कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार पर अस्वीकार किया जाएगा और इस तरह की बोली को बाद में गैर-अनुरूपता में सुधार करके बोलीकर्ता द्वारा उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता है।

3.10.3. बोली का मूल्यांकन

- i. कंपनी द्वारा आगे विस्तृत मूल्यांकन के लिए केवल उन बोलीकर्ताओं एवं बोलियों को लिया जाएगा जो प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान पात्रता नियमों और शर्तों के अनुरूप पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान पात्रता मानदंड और किसी भी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले बोलियों को आगे के मूल्यांकन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- ii. तकनीकी और कार्यात्मक मानकों पर बोलियों के मूल्यांकन का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।
- iii. बोलियों के मूल्यांकन एवं तुलना के दौरान कंपनी अपने विवेकाधिकार से बोलीकर्ताओं से उनकी बोलियों के स्पष्टीकरण मांग सकती हैं। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में होगा और कीमतों या बोली के सार में कोई बदलाव की मांग, पेशकश या अनुमति नहीं दी जाएगी। बोली के बाद बोलीकर्ता की पहल या बोली स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.10.4. बोलियों का मूल्यांकन और अंतिम रूप देना

- i. पहले से शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीकर्ताओं की सूची से बोलीकर्ताओं को आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र माना जाएगा एवं इन बोलीकर्ताओं के लिए मूल्य / वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी।
- ii. कंपनी किसी बोली के किसी भी छोटी-मोटी कमी या गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकती है, जो एक भौतिक विचलन नहीं होता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी बोलीकर्ता की सापेक्ष रैंकिंग को पूर्वाग्रह या प्रभावित न करे।

- iii. बिडिंग प्रक्रिया में बोलीकर्ताओं को बोली दस्तावेजों के एक भाग के रूप में अनुबंध-3 के तहत दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने लेटर हेड पर एक बयान देना होगा, कि उन्हें एल टी ई दस्तावेज के किसी भी खंड से कोई आपत्ति नहीं है।

3.10.5. कंपनी से संपर्क

- i. मूल्य/वाणिज्यिक बोली खोलने के समय से लेकर अनुबंध को अंतिम रूप देने एवं अनुबंध सौंपने तक कंपनी से बोली संबंधित किसी भी मामले में कोई भी बोलीकर्ता कंपनी से संपर्क नहीं कर सकेंगे।
- ii. किसी बोलीकर्ता द्वारा बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या अनुबंध सौंपने के अपने निर्णयों में कंपनी को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से बोलीकर्ता के बोली को अस्वीकार किया जा सकता है और कंपनी के साथ भविष्य में किसी भी एल टी ई / अनुबंध / व्यापार पर रोक लगाया जा सकता है।

3.10.6. बोलीकर्ता को अनुबंध सौंपना

सफल बोलीकर्ता को कंपनी द्वारा लिखित पत्र या ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा कि उनकी बोली स्वीकार कर ली गई है। चयनित बोलीकर्ता को (ए) मूल अनुबंध (इसके बाद "पी ए" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), उसी का मसौदा नीचे अनुबंध 8 के रूप में संलग्न कंपनी द्वारा निर्धारित या अनुशंसित सभी सेवाओं और सेवाओं के नियमों और शर्तों का निष्पादन करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उक्त मसौदा समझौते में निर्धारित सभी या किसी भी शर्तों को परिवर्तन / बदलाव / संशोधन / सुधार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है। चयनित बोलीकर्ता एल टी ई के साथ अनुलग्नक 9 के रूप में संलग्न प्रारूप में सत्यनिष्ठा संहिता के साथ यहां उल्लिखित आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, बोलीकर्ता के अंतिम चयन के बारे में अधिसूचना की तारीख से पांच कार्य दिवसों के अंदर "पी ए" निष्पादित करना होगा।

3.10.7. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कंपनी का अधिकार:

- i. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिडिंग प्रक्रिया को रद्द करने एवं प्रभावित करने, बोलीकर्ता या बोलीकर्ताओं के लिए कोई दायित्व या प्रभावित बोलीकर्ता को सूचित करने के किसी भी दायित्व के बिना या कंपनी की कार्रवाई के आधार पर

बोलीकर्ताओं को अनुबंध सौंपने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है ।

ii. कंपनी द्वारा लिए गए सभी निर्णय बाध्यकारी और अंतिम हैं।

3.10.8. पात्रता मानदंड

बोलीकर्ताओं को एपीएस 33 के सभी मानदंडों/आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।

- I. बोलीकर्ता बीमाकर्ता से स्वतंत्र और बाहर का हो ।
- II. बोलीकर्ता के पास एक उपयुक्त वैध अभ्यास प्रमाणपत्र होना चाहिए ।
- III. बोलीकर्ता आई ए आई का एक साथी सदस्य होगा और बीमांकिक अभ्यास मानक 33 की शर्तों के अनुसार बाह्य सह समीक्षक का कार्य करेगा। बोलीकर्ता को निर्यात ऋण जोखिम बीमा में अनुभव होना चाहिए।
- IV. बोलीकर्ता के हितों का कोई टकराव नहीं होगा।
- V. बोलीकर्ता का किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 3 से अधिक बीमाकर्ताओं के लिए सह समीक्षक नहीं होना चाहिए।
- VI. बोलीकर्ता किसी भी बीमाकर्ता के लिए सहसमीक्षक के रूप में लगातार 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत नहीं रह सकता है, जिसके लिए सह समीक्षा की जा रही है।
- VII. बोलीकर्ता द्वारा व्यावसायिक आचरण का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
- VIII. बोलीकर्ता द्वारा अतीत में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई ए आर डी ए आई) के किसी भी मानदंड / विनियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

बोलीकर्ता को उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए और एपीएस-33 की पुष्टि और अनुपालन करना चाहिए।

भाग -4
अनुलग्नक
अनुलग्नक- 1

कंपनी प्रोफाइल/पात्रता/तकनीकी बोली

क्रं . सं.	विवरण	
1.	<p>सह समीक्षक का नाम सह समीक्षक का पंजीकृत पता सह समीक्षक का प्रोफाइल पंजीकरण की तिथि</p> <ul style="list-style-type: none"> • क्या फ़र्म साझेदारी/ स्वामित्व/ व्यक्तिगत हैं • फ़र्म के मामले में प्रमुख भागीदार/ व्यक्ति / प्रभारी का नाम <p>प्राधिकृत प्रतिनिधियों / हस्ताक्षरकर्ताओं का पूरा नाम और संपर्क विवरण।</p> <ul style="list-style-type: none"> • <ul style="list-style-type: none"> ◦ लैंड लाइन (यदि कोई हो) _____ ◦ मोबाइल _____ ◦ ई-मेल आईडी _____ 	
2.	<p>विवरण सहित निदेशकों /साझेदारों /व्यक्तियों का पूरा नाम</p> <ul style="list-style-type: none"> • योग्यता • अनुभव • संपर्क विवरण <ul style="list-style-type: none"> ◦ लैंड लाइन (यदि कोई हो) _____ ◦ मोबाइल _____ ◦ ई-मेल आईडी _____ • बीमांकक के रूप में कार्य अभ्यास शुरू करने की तिथि • आई ए आई के फैलो बनने का वर्ष • अभ्यास प्रमाण-पत्र (सी ओ पी) नंबर / पंजीकरण संख्या एवं इसकी वैधता । • संगठन आदि के विवरण सहित, जैसा 	

	<p>भी लागू हो, वर्तमान में धारित पद (या तो एक कर्मचारी या सलाहकार या अन्य रूप में)</p> <ul style="list-style-type: none"> इस बात की पुष्टि कि उनके खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई एवं वर्तमान में कुछ भी लंबित नहीं है या लागू मामलों का विवरण आदि। <p>(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)</p>	
3.	बीमा उद्योग में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के अनुभव के वर्षों की संख्या जीवन बीमा में अनुभव के वर्षों की संख्या	
4	गैर - जीवन बीमा में अनुभव के वर्षों की संख्या गैर -जीवन बीमा उद्योग में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई सह समीक्षाओं की संख्या	
5	मुंबई में कार्यालय का विवरण <ul style="list-style-type: none"> पता: दूरभाष नंबर: फैक्स नंबर : ई-मेल: वेबसाइट (यदि कोई हो) : 	
6	भारत एवं विदेशों में अन्य शाखाओं का विवरण	
7	मूल्यांकन की अवधि के विवरण के साथ पूर्व एवं वर्तमान बीमा कंपनियों सहित प्रमुख ग्राहकों की सूची	
8	मूल्यांकन कार्य के संचालन के लिए कार्य योजना और इसके कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली । (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें)	
9	<ul style="list-style-type: none"> पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों का लाभ-हानी खाते एवं फ़र्म के बैलेन्स शीट की स्व-सत्यापित प्रति। अभ्यास के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-7) में स्व-घोषणा 	

	<ul style="list-style-type: none"> • संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-9) में सत्यनिष्ठा संहिता • संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक -5) में बोलीकर्ता का विवरण • संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक -2) में बोलीकर्ता का बैंक विवरण • फ़र्म का पैन (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) फ़र्म की जीएसटी पंजीकरण संख्या (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) • 	
10	<p>फ़र्म में सक्रिय भागीदारों की संख्या एवं कर्मचारियों की संख्या, जो पूरी तरह से योग्य बीमांकिक एवं आईएआई के सदस्य हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • (कृपया सक्रिय भागीदार/कर्मचारी का नाम/ सदस्यता संख्या, अनुभव आदि सहित विवरण संलग्न करें) 	
11	<p>आई टी आर / बैलेंस शीट के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष में बीमांकन / फ़र्म का कारोबार (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)</p> <p>क) कुल वार्षिक कारोबार</p>	
12	<p>बोलीकर्ता को निम्नलिखित का विवरण प्रदान करना होगा</p> <p>ईसीजीसी लिमिटेड के लिए बोली लगाने वाले सह समीक्षक के रूप में किए गए सभी पिछले वार्षिक वैधानिक बीमांकिक मूल्यांकन का विवरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • ईसीजीसी लिमिटेड के साथ किसी भी वाणिज्यिक संबंध का विवरण • विवरण दे कि क्या बोलीकर्ता ईसीजीसी लिमिटेड से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। <p>विवरण दे कि क्या बोलीकर्ता ईसीजीसी लिमिटेड या उसकी किसी सहयोगी संस्थान के लिए सलाहकार या परामर्शदाता या कर्मचारी के रूप में कार्यरत है।</p>	
13	<p>कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग शीट संलग्न करें)</p>	

.....

फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ई-मेल आईडी:

अनुलग्नक -2

बोलीकर्ता का बैंक विवरण

क्रं. सं.	विवरण	वर्णन
1	बैंक का नाम	
2	बैंक का पता	
3	बैंक का आई एफ एस सी कोड	
4	बैंक खाता संख्या	
5	खाते का प्रकार	

.....
फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ई-मेल आईडी:

अनुलग्नक -3

स्वीकृति

बोलीकर्ता को अपने लेटर हेड पर प्रस्तुत करें

दिनांक:

प्रति,
नियुक्त बीमांकक,
ईसीजीसी लिमिटेड,
10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट,
मुंबई- 400021

प्रिय महोदय /महोदया,

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकक के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में बीमांकक के व्यक्तिगत / फर्म की नियुक्ति के लिए सीमित निविदा प्रस्ताव पर उत्तर

1. अनुबंधों सहित सीमित निविदा प्रस्ताव दस्तावेज़ की जांच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति एतद्वारा विधिवत रूप से स्वीकार की जाती है, बोली में बताई गई लागत के भीतर एल टी ई दस्तावेज़ में बताए गए कार्य के दायरे के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित हैं।
2. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम इस एल टी ई दस्तावेज़ के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं ।
3. हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने अनुरोधित प्रारूप में ईसीजीसी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रदान की है। हम यह भी समझते हैं कि ईसीजीसी को इस बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि ईसीजीसी को ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की गई है या एक अलग प्रारूप में प्रदान की गई है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है या पूरी जानकारी प्रदान नहीं की गई है या किसी अन्य कारण से जैसा भी उचित हो, ईसीजीसी का निर्णय हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

4. हम इस बात से सहमत हैं कि इस एल टी ई प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय एल टी ई दस्तावेज़ और सभी संशोधनों को संशोधित करने, रद्द करने या पुनः जारी करने का अधिकार ईसीजीसी लिमिटेड के पास सुरक्षित है।
5. हम सहमत हैं कि हमें इस एल टी ई दस्तावेज़ में दिए गए किसी भी खंड, नियम और शर्तों एवं बिडिंग प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है।

.....

फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

संपर्क नंबर (मोबाइल):

ई-मेल आईडी:

अनुलग्नक - 4

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त एकचुअरी के कार्य की समीक्षा के लिए बाह्य सह समीक्षक के रूप में बीमांकिक की व्यक्तिगत/फर्म की नियुक्ति के लिए मूल्य/वाणिज्यिक बोली

(नीचे उल्लिखित अनुसार 2रे सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)

हम प्रस्तावित कार्य हेतु अपना मूल्य/वाणिज्यिक बोली (शुल्क) निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

क्रम सं	विवरण	भारतीय रुपए में कुल शुल्क (अंको में)	भारतीय रुपए में कुल शुल्क (शब्दों में)
1.	वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के नियुक्त बीमांकिक के कार्य की सह/पियर समीक्षा। सहसमीक्षा की सीमा आईएआई द्वारा जारी एपीएस 33 के अनुसार है।		

कुल राशि शब्दों में : रुपए _____ मात्र.

नियम एवं शर्तें:

- क. ईसीजीसी की संतुष्टि तक कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद शुल्क का भुगतान केवल भारतीय रुपये में होगा।
- ख. वित्तीय बोली में चयनित बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। चयनित बोलीदाता द्वारा उद्धृत कार्य के लिए शुल्क में, समस्त लागू करों के अतिरिक्त, सभी खर्च/लागत/विविध व्यय, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए, जिसका ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किया जाएगा। ईसीजीसी लिमिटेड भारतीय कराधान नियमों के अनुसार भुगतान करते समय लागू टीडीएस काटने का हकदार होगा।
- ग. आवास, यात्रा, भोजन आदि के संबंध में फर्म द्वारा किया गया कोई अतिरिक्त

- व्यय देय नहीं होगा।
- घ. इसीजीसी लिमिटेड के पास अपर्याप्त/असंतोषजनक कार्य या कुछ ऐसा करने में चूक के कारण सफल बोलीदाता से किसी भी आनुपातिक राशि की कटौती करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसे एलटीई या कार्य के लापरवाह निष्पादन के तहत बोलीदाता को करना आवश्यक है।
- ङ. उद्धृत दर आगामी अनुबंध के पूरे कार्यकाल के लिए मान्य है। इस अनुबंध हेतु भुगतान में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- च. यहां संलग्न अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाना है जिसे अनुबंध 8 के रूप में चिह्नित किया गया है।
- छ. आगामी अनुबंध के निष्पादन के नियत समय के दौरान आकस्मिक व्यय हेतु कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।
- ज. अनुबंध प्रदान करने पर कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

सम्पर्क. (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

कम्पनी की मोहर:

अनुलग्नक - 5

समान कार्य का विवरण जो आपके द्वारा पिछले पांच(5) वर्षों के दौरान पूर्ण किया गया हो

सह समीक्षक का विवरण जो इस प्रोजेक्ट में सम्बद्ध होगा

1. सह समीक्षक का नाम
2. ईमेल आईडी
3. फोन नं. (कार्यालय)
4. मोबाइल नं
5. इस फर्म में तैनाती के तारीख
6. व्यावसायिक योग्यता
7. अनुभव

क्रम सं	पिछले पांच(5) वर्षों के दौरान पूर्ण किये गए समान कार्य का विवरण	भारत/विदेश में प्रदान की गए सेवाओं तथा उन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण जहाँ कार्य किया गया	अवधि: से- तक	पूर्ण करने की तारीख
01				
02				
03				
04				

कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

सम्पर्क. (मोबाइल):

ईमेल आईडी:

कम्पनी की मोहर:

अनुलग्नक - 6

प्रश्न का प्रारूप

क्रम सं	बोलीकर्ता का नाम	पृष्ठ सं (एलटीई संदर्भ)	धारा (एलटीई संदर्भ)	एलटीई का विवरण (एलटीई संदर्भ)	प्रश्न
1					
2					

नोट: प्रश्नों को केवल प्रदान की गई ई-मेल आईडी, actuarialdepartment@ecgc.in के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर ईसीजीसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे या संबंधित बोलीदाता को ईमेल किए जाएंगे। टेलीफोन/मोबाइल या ई-मेल के माध्यम से लिखित के अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई प्रश्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों को उपर्युक्त प्रोफार्मा में .xls/.xlsx प्रारूप में भेजी जानी चाहिये।

अनुलग्नक - 7

घोषणा प्रारूप

(बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

घोषणा

मैं _____ पुत्र श्री _____ के रूप में कार्यरत
_____ में _____ (सह समीक्षक के नाम एवं
पूरे पते का उल्लेख किया जाए), एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता
हूं कि मुझे तकनीकी बोली और वित्तीय बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म द्वारा अधिकृत
किया गया है। मैं, फर्म की ओर से एतद्वारा घोषित और प्रमाणित करता हूं कि हमने इस
एलटीई दस्तावेज़ **ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/2022** में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को
स्वीकार कर लिया है और हम मेरी/हमारी बोली की स्वीकृति की स्थिति में एलटीई के सभी
नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं..... (सह समीक्षक का नाम)/इसके
किसी भी भागीदार/ रिश्तेदार/ कर्मचारियों/ प्रतिनिधि/ एजेंटों को किसी भी परिस्थिति में
ईसीजीसी लिमिटेड/ ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों, ईसीजीसी लिमिटेड के नियुक्त बीमांकक
के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं माना जाएगा।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ईसीजीसी लिमिटेड में मेरे/हमारे पास कोई लाभ का स्थान
नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, सीएजी,
आईएआई आदि सहित, लेकिन सीमित नहीं है, किसी भी नियामक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा
डिफॉल्ट/प्रतिबंधित/वर्जित/ब्लैक लिस्टेड नहीं है/थी।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ईसीजीसी लिमिटेड के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, ईसीजीसी
लिमिटेड के नियुक्त बीमांकक का आवेदक बीमांकिक फर्म में कोई निहित और व्यक्तिगत हित
नहीं है। मैं एलटीई में संलग्न अनुबंध-8 के मसौदे के अनुसार हमारी बीमांकिक फर्म की ओर
से ईसीजीसी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का वचन देता हूं।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार
सत्य और सही हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध मेरे कार्य/ग्राहकों के बारे में कोई पूछताछ
की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।

में/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने बोली के सभी नियम और शर्तें और निर्देश पढ़ लिए हैं और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं। हम आगे उसी का पालन करने की घोषणा करते हैं।

में/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हम वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान किसी अन्य कार्य के सम्बंध में ईसीजीसी लिमिटेड के साथ संबद्ध नहीं हैं।

सह समीक्षक के अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित
हस्ताक्षर

स्थान: _____ दिनांक: _____

नाम: _____ पदनाम: _____

सदस्यता सं.: _____

अनुलग्नक - 8

सहमति अनुबंध मसौदा

(नियुक्ति पत्र जारी होने के उपरांत सफल बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

यह समझौता(एतदपश्चात इसके सहित.....यहाँ संलग्न अनुलग्नकों सहित, "सहमति अनुबंध" कहलाएगा)वर्ष 2022 केतारीख को उद्धृत

द्वारा एवं मध्य

ईसीजीसी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 के एक हिस्से (एतदपश्चात "ईसीजीसी" कहा जाए) में है, जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल न हो या इसका अर्थ, इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं

तथा

मैसर्स _____ एक कंपनी/फर्म/एलएलपी पंजीकृत इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुअरीज ऑफ़ इंडिया (इसके बाद "सह समीक्षक" कहा जाता है) के साथ उनका पंजीकृत कार्यालय..... है, जिस पर अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, जिसमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, और दूसरे भाग पर अनुमत असाइनमेंट शामिल हैं।

इस समझौते में, ईसीजीसी और सह समीक्षक को व्यक्तिगत रूप से 'एक पार्टी' और सामूहिक रूप से 'पार्टियों' के रूप में संदर्भित किया गया है।

यदि सह समीक्षक एक फर्म है, तो सह समीक्षक का हर समय इसके तहत प्रतिनिधित्व.....द्वारा किया जाएगा, जो इसके तहत दायित्वों के प्रदर्शन के लिए और सेवाओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी बनाए रखेगा।)

प्रपठन

- क. जहाँ ईसीजीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईसीजीसी लिमिटेड में नियुक्त बीमांकिक के कार्य की समीक्षा के लिए बाहरी सह समीक्षक के रूप में बीमांकिक की व्यक्तिगत/फर्म की नियुक्ति के लिए पात्र बोलीकर्ताओं से बोलियां आमंत्रित की थीं (इसके बाद, "एलटीई" कहा जाएगा, जिसमें अभिव्यक्ति में सभी संलग्नक और उसके अनुलग्नकों के साथ-साथ सभी संशोधन, संशोधन, परिवर्तन, परिशिष्ट और शुद्धिपत्र शामिल होंगे)।
- ख. एवं जबकि सह समीक्षक यह दर्शाता है कि उसके पास "वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए ईसीजीसी की सह समीक्षा के लिए" प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और अनुभव है और उसने यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की है और, एलटीई में प्रस्तुत और ईसीजीसी की किसी भी अन्य उचित आवश्यकताओं को समय-समय पर सूचित किया जाता है।
- ग. और जबकि सह समीक्षक ने बोली प्रक्रिया के दौरान अपनी तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की है जिसे ईसीजीसी द्वारा पियर समीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपयुक्त माना गया है।
- घ. और जबकि ईसीजीसी ने एलटीई के सभी नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के अनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सह समीक्षक की बोली को स्वीकार कर लिया है और संदर्भ संख्या दिनांक के माध्यम से नियुक्ति पत्र जारी किया है।
- ङ. अब, इस समझौते में निहित वचनों और वाचाओं एवं अन्य अच्छे और मूल्यवान प्रतिफल पर विचार करते हुए, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसके द्वारा, पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है।

अब यह सहमति अनुबंध इस प्रकार प्रकटित होगा :

एलटीई और बोलीकर्ता की बोलियों में निर्धारित नियमों और शर्तों को इस समझौते के अनुरूप पढ़ा जाएगा और यह इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा होगा और एक साथ पूरे समझौते का गठन करेगा। यह समझौता किसी भी पूर्व अनुबंध/समझौते, विषय वस्तु पर पार्टियों की समझ या प्रतिनिधित्व का स्थान लेगा।

ईसीजीसी द्वारा सह समीक्षक को किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए, जैसा कि इसके बाद सह समीक्षक ने उल्लेख किया है, ईसीजीसी के साथ अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप सभी तरह से कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए अनुबंध करता है। ईसीजीसी एलटीई में निर्धारित तरीके से समकक्ष शुल्क सेवाओं को पूरा करने के विचार में सह समीक्षक को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।

(उपरोक्त के होते हुए भी, सह समीक्षक का हर समय द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जो इसके तहत दायित्वों के प्रदर्शन के लिए परामर्श सेवाओं के संतोषजनक समापन के लिए पूर्ण और अविभाजित जिम्मेदारी को बनाए रखेगा।)

1. परिभाषाएं:

- क. **सहमति अनुबंध** से तात्पर्य ईसीजीसी और सह समीक्षक के मध्य किए गए अनुबंध , जैसा कि पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध फॉर्म में अंकित किया गया है, जिसमें सभी अनुलग्नक, एलटीई, बोली और सभी अनुलग्नक, तकनीकी और वित्तीय बोली में निर्धारित सहमत शर्तें , उसमें संदर्भ द्वारा शामिल सभी दस्तावेज और समय-समय पर उपरोक्त में से किसी में किए गए संशोधन, परिवर्तन और संशोधन और उसमें संदर्भ द्वारा शामिल किए गए सभी दस्तावेज शामिल हैं।
- ख. **अनुबंध मूल्य** का अर्थ है **ईसीजीसी की संतुष्टि** के लिए अपनी ओर से अपने संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण और उचित प्रदर्शन के लिए इस समझौते के तहत पियर समीक्षक को देय मूल्य।
- ग. "सहसमीक्षक" सफल बोलीकर्ता है जिसकी पात्रता बोली स्वीकार कर ली गई है और जो इसकी वाणिज्यिक बोली के अनुसार एल1 था और जिसे ईसीजीसी द्वारा प्रदान करने की अधिसूचना दी गई है।
- घ. "सेवाओं" से तात्पर्य उन सेवाओं से है जो सेवा प्रदाता द्वारा, अनुबंध के अंतर्गत, ईसीजीसी को प्रदान करना आवश्यक है।
- ङ. "सहमति अनुबंध " का अर्थ है ईसीजीसी और सेवा प्रदाता के बीच किया गया और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता है, जिसमें सभी संलग्नक और परिशिष्ट और उसमें संदर्भ द्वारा शामिल सभी दस्तावेज शामिल हैं;
- च. "अनुबंध मूल्य" का अर्थ अनुबंध के तहत सेवा प्रदाता को उसके संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण और उचित प्रदर्शन के लिए देय मूल्य है;
- छ. "टीसीसी" से तात्पर्य अनुबंध के नियम और शर्तें हैं;
- ज. "प्रोजेक्ट/असाइनमेंट" का अर्थ है वार्षिक साइबर सुरक्षा और सिस्टम लेखापरीक्षा।

झ. "परियोजना स्थल" का अर्थ है इसीजीसी के निर्दिष्ट स्थान जैसा कि खरीद आदेश / एलटीई में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ज. गोपनीय जानकारी का अर्थ है कंपनी की सभी जानकारी जो मौखिक या लिखित या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेवा प्रदाता को प्रकट की जाती है और इसमें व्यापार रहस्य, जानकारी, तकनीक, प्रक्रियाएं, योजनाएं, एल्गोरिदम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। , सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, व्यवसाय के तरीके, ग्राहक सूचियाँ, संपर्क, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजना तकनीक, योजनाबद्ध, डिजाइन, अनुबंध, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजनाएँ, व्यवसाय योजनाएँ, ग्राहक, ग्राहक डेटा, व्यावसायिक मामले, संचालन , रणनीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, प्रौद्योगिकियाँ, कर्मचारी, उपठेकेदार, किसी भी और सभी अनुबंधों की सामग्री, सदस्यता सूचियाँ, ग्राहक सूचियाँ, फ़ोटो फ़ाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध कोटेशन, चैरिटी अनुबंध, दस्तावेज़, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, पुस्तकें रिकॉर्ड, फाइलें और टैक्स रिटर्न, डेटा, आंकड़े, तथ्य, आंकड़े, संख्याएं, रिकॉर्ड, नियोजित पेशेवर, पत्राचार और एडवोकेट, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, अटॉर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, ऑडिटर, सर्वेयर, लॉस असेसर्स, इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, राय, रिपोर्ट जैसे पेशेवरों से प्राप्त, विशेषाधिकार प्राप्त संचार के दायरे में आने वाले सभी मामलों के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत विचार किया गया, कानूनी नोटिस भेजे और प्राप्त किए गए, दावा फाइलें, बीमा पॉलिसियां, उनकी दरें, फायदे, नियम, शर्तें, बहिष्करण, शुल्क, ग्राहकों / ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों के साथ पत्राचार, प्रस्ताव प्रपत्र, दावा-फॉर्म , शिकायतें, वाद, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावा-नोट, न्यायालय के समक्ष किए गए बचाव, न्यायिक मंच, अर्ध-न्यायिक निकाय, या कोई प्राधिकरण, आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्ताव, संचालन के तरीके, प्रक्रियाएं, कंपनी के उत्पादों और/या सेवाओं और व्यावसायिक जानकारी। **अनुबंध की समय सीमा/अवधि** इस समझौते के निष्पादन की तारीख से शुरू होकर पीयर रिव्यू रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए इसीजीसी द्वारा पीयर समीक्षक को नियुक्त किया गया है, अर्थात् वित्त वर्ष 2021-2022 के मूल्यांकन हेतु होगी।

ट. सह समीक्षा रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा, नियुक्त बीमांकक द्वारा बीमाकर्ता को आरक्षित अनुमान प्रस्तुत करने से पूर्व है।

2. शर्तों हेतु मानक

यह सम्विदा सह समीक्षक द्वारा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

क. सह समीक्षक इस समझौते के अंतर्गत सेवाओं के प्रदर्शन हेतु आवश्यक सभी वैधानिक, नियामक और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त एवं अपने पास संरक्षित करेगा।

ख. सह समीक्षक इसके साथ संलग्न प्रारूप में सत्यनिष्ठा स्वीकरण को प्रस्तुत करेगा जिसे एलटीई दस्तावेज़ के अनुलग्नक 9 के रूप में चिह्नित किया जाएगा। ईसीजीसी जो अनिवार्य रूप से इस समझौते के लिए पार्टियों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों को इस समझौते के किसी भी पहलू पर कोई भ्रष्ट प्रभाव नहीं डालने के लिए वचनबद्ध करने की परिकल्पना करता है (ईसीजीसी द्वारा निर्धारित सीमा सीमा के संदर्भ में शामिल किया गया), ।

ग. **अभित्यजन**- ईसीजीसी लिखित रूप में इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी या सभी शर्तों को माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस तरह की कोई भी छूट ईसीजीसी के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या कम नहीं करेगी।

3. कार्य की सीमा

इस सह समीक्षा का दायरा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (एतस्मिन्पश्चात "आईएआई" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी "एक्चुरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 33 (एपीएस 33) पीयर रिव्यू ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरी वर्क्स" (एतस्मिन्पश्चात "एपीएस 33" के रूप में संदर्भित) के अनुसार है एवं एलटीई दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताएं हैं।

4. रिपोर्टिंग पद्धति

सह समीक्षक ईसीजीसी के नियुक्त बीमांकक को संबोधित एक रिपोर्ट (यहां "सह समीक्षा रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) प्रस्तुत करेगा, जिसमें कहा गया है कि सह समीक्षा एपीएस 33 द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर की गई है और समीक्षा की गई कार्य की प्रकृति का वर्णन करती है।

5. मूल्य एवं भुगतान शर्तें

क. सह/पीयर समीक्षक शुल्क का भुगतान कार्य के संतोषजनक समापन और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद देय होगा।

ख. अनुबंध मूल्य वाणिज्यिक बोली में निर्दिष्ट राशि के बराबर होगा।

ग. सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में किए जाएंगे और क्षतिपूर्ति खंड के प्रावधानों या सह समीक्षक/फर्म से ईसीजीसी को किसी भी अन्य वसूली योग्य देय राशि के अधीन होंगे।

घ. ईसीजीसी किसी भी अतिरिक्त लागत, शुल्क या जेब खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. विवेचना

इस समझौते में जब तक अन्यथा प्रदर्शित न हो तब तक:

क. इस समझौते की शर्तों, एलटीई एवं बोलियों के मध्य एक असंगति या संघर्ष की स्थिति में, एलटीई की शर्तें बोली में उल्लिखित शर्तों की सीमा तक बोलियों को अधिभावी और अधिक्रमित करेंगी, लेकिन इस अनुबंध के अंतर्गत संशोधित शर्तों को नहीं। एलटीई की

शर्तों में कोई भी बदलाव और/या इस समझौते में किए गए किसी भी परिवर्धन एलटीई पर लागू होंगे और एलटीई का स्थान लेंगे। किसी भी विसंगति के अभाव में, एलटीई इस समझौते के नियमों और शर्तों के अलावा पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

ख. गठन का नियम यह है कि अनुबंध की व्याख्या अनुबंध के प्रारूपण अथवा तैयार करने के लिए जिम्मेदार पार्टी के विरुद्ध की जाएगी, लागू नहीं होगी।

ग. इस अनुबंध के समापन अथवा खंडन, अनुबंध के ऐसे किसी प्रावधान पर लागू नहीं होगा जो कि अनुबंध को इस प्रकार के समापन अथवा खंडनके पश्चात भी परिचालित रहने का विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाता है अथवा जिसके इस प्रकार के समापन अथवा खंडनके पश्चात भी जारी रहना आवश्यक है , चाहे इसकी शर्तों के अनुसार इस प्रकार की प्रक्रिया के जारी रहने रहने का प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाती हों।

7. हितों में टकराव

सह समीक्षक द्वारा अपनी सेवाओं के दौरान जैसे ही व्यावहारिक रूप से उसे इस प्रकार के विवाद का ज्ञान हो तत्काल लिखित रूप में व्याप्त सभी वास्तविक एवं संभावित विवादों , जो उत्पन्न हो सकते हैं अथवा जो उत्पन्न हो चुके हैं (या तो सह समीक्षक अथवा सह समीक्षक की टीम के लिए) के विषय में विस्तार से ईसीजीसी को लिखित रूप में जानकारी सौंपी जाएगी।

8. गोपनीयता

क. कंपनी को सभी गोपनीय जानकारी का स्वामी माना जाएगा।

ख. सह समीक्षक द्वारा इस सेवा अनुबंध के भाग के रूप में अथवा सेवा अनुबंध को पूरा करने के दायित्व के लिए कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग किया जाएगा।

ग. सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा जो कि कंपनी अथवा उसकी सहयोगी संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रतिकूल साबित हो एवं यह भी कि गोपनीय जानकारी को किसी अप्राधिकृत तीसरी पार्टी को नहीं सौंपी जाएगी।

घ. सेवा प्रदाता द्वारा गोपनीय जानकारी को आवश्यकता के आधार पर , उसके उन कर्मियों अथवा परामर्शदाताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं सौंपा जाएगा जो कि उसे , इस अनुबंध में उल्लिखित प्रतिबंधक शर्तों के अधीन लिखित रूप में जानकारी को गोपनीय रखने का वचन नहीं देता। इस संबंध में सेवा प्रदाता एवं अन्य व्यक्तियों के बीच हुए किसी भी प्रकार के अनुबंध की प्रति तत्काल कंपनी को अग्रेषित कर दी जाएगी। इस प्रकार के व्यक्तियों को

गोपनीय जानकारी उपलब्ध करवाने के पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा उन्हें गोपनीय प्रकृति की जानकारी के विषय में जानकारी अवगत करा दी जाएगी कि वे गोपनीय जानकारी किसी तीसरी पार्टी को न सौंपे।

ड. सह समीक्षक द्वारा कंपनी की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा एवं उपयोग उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार वह अपनी स्वयं की गोपनीय जानकारी की सुरक्षा एवं उपयोग करता हो एवं उसके किसी कर्मी , कार्यालयों , सहयोगी संस्थाओं अथवा परामर्शदाताओं द्वारा उसकी अनधिकृत अथवा अमान्य उपयोग को टालने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँगे।

9. विच्छेद

सक्षम सीमक्षेत्र के न्यायालय द्वारा इस अनुबंध के प्रावधान का अवैध घोषित किए जाने अथवा लागू न किए जाने योग्य सिद्ध किए जाने के मामले में , अनुबंध के शेष प्रावधान सभी पार्टियों के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी एवं बाध्यकारी होंगे। पार्टियों द्वारा सद्भावना से अनुबंध किया जाएगा एवं इस अनुबंध में शामिल होने वाली पार्टियों पर अनुबंध के वैध एवं प्रभावी शर्त लागू होंगे।

10. बौद्धिक संपत्ति

क. अनुबंध में शामिल किसी भी रॉयल्टी अथवा पेटेंट अथवा प्रभारों के उपयोग अथवा उल्लंघन का मूल्य चुकाना होगा। सह समीक्षक द्वारा इस प्रकार के दावों से ईसीजीसी की रक्षा की जाएगी।

ख. तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वितरण योग्य किसी जानकारी में कंपनी के वर्तमान बौद्धिक सम्पदा शामिल की जाती है तो उसके अधिकार कंपनी के पास ही रहेंगे।

ग. पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी अन्य पार्टी के ट्रेडमार्क , ट्रेड नाम, सेवा मार्क एवं लोगो का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाएगा , सिवाय जैसा कि पार्टी द्वारा लिखित रूप में अनुमति दी गयी हो।

11. शाषीय भाषा

इस अनुबंध को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा । इस संबंध में सभी पत्राचार अंग्रेजी में ही होंगे।

12. प्रचार

सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अनुबंध में उल्लिखित अनुसार वर्तमान निबंधन एवं शर्तों अथवा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विषय में

विज्ञापन को प्रदर्शित अथवा प्रकट नहीं करने पर स्वीकृति जताई गयी है। विशेष रूप से सह समीक्षक द्वारा अनुबंध के किसी भी पहलू के विषय में तब तक सार्वजनिक घोषणा अथवा मीडिया में जानकारी नहीं दी जाएगी जब तक सह समीक्षक को अपनी लिखित स्वीकृति नहीं दे दी जाती।

13. क्षतिपूर्ति

सह समीक्षक द्वारा निम्न के विरुद्ध ईसीजीसी को 100% तक की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की जाएगी :-

- क. इस अनुबंध के अधीन सह समीक्षा / सेवाएँ प्रदान करते समय सांविधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन / अनुपालन न किए जाने के कारण ईसीजीसी को होने वाली हानि अथवा क्षति दावा , लागत अथवा परिणाम;
- ख. इस अनुबंध के संबंध में अथवा संभावित परिणाम के संबंध में सह समीक्षक / फार्म की टीम अथवा तीसरी पार्टी की लापरवाही या गलत कार्य या चूक या जानबूझकर किया गया कदाचार के कारण उत्पन्न हानि;
- ग. उसके कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी कार्य, जो ईसीजीसी द्वारा उनके फर्म को सौंपे गए कार्य क्षेत्र अथवा प्राधिकार अथवा दिये गए निर्देशों के कार्य क्षेत्र से बाहर हों;
- घ. इस अनुबंध के अधीन सह समीक्षक अथवा उसकी टीम अथवा तीसरी पार्टी द्वारा निष्पादन अथवा गैर निष्पादन के जरिये बोली , सीमित टेंडर दस्तावेज़ (एल टी ई) के किसी शर्त के उल्लंघन से होने वाली क्षति;
- ङ. ईसीजीसी को अधिकार है कि वह इस अनुबंध के निष्पादन संबंधी दायित्वों में विलंब के कारण इस अनुबंध को रद्द करे एवं विलंब के लिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा करे। इस प्रकार के विलंब से विनियामक अथवा सांविधिक निकाय द्वारा ईसीजीसी पर लगाए जाने वाले आर्थिक अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार के दंड को सह समीक्षक द्वारा वहन करना होगा। परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति ईसीजीसी के पक्ष में संविदा के 100% होगी।
- च. उक्त के अतिरिक्त सह समीक्षक द्वारा हर समय उसके कर्मियों, ठेकेदारों , उपठेकेदारों , सहयोगियों , परामर्शदाताओं , सहयोगी संस्थाओं , आपूर्तिकर्ताओं , एजेन्टों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो बोलीकर्ता के लिए कार्य कर रहा हो द्वारा वेतन, परिलब्धियों अथवा प्रतिपूर्तियों के लिए किए जाने वाले संभावित दावों से ईसीजीसी की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति करना जारी रखा जाएगा।
- छ. इस अनुबंध की समाप्ति अथवा खंडनके पश्चात भी दावों पर इस प्रकार की प्रतिपूर्ति जारी रहेगी।

14. आपात घटना

क. आग, बाढ़, भूकंप, महामारी अथवा प्रकृतिक घटनाओं , युद्ध, आतंकवाद, दंगों, गृह युद्ध, विद्रोह अथवा क्रांति , सरकारी प्राधिकारियों के निर्णयों अथवा अन्य घटनाओं जिस पर निष्पादक पार्टी का कोई नियंत्रण न हो ऐसे मामलों में इस अनुबंध के दायित्वों के निर्वाह में सह समीक्षक द्वारा की गयी चूक अथवा विलंब को चूक नहीं माना जाएगा एवं यह अनुबंध खंडनका कारक भी नहीं होगा। प्रभावित / गैर निष्पादक पार्टी द्वारा अन्य पार्टी को इस प्रकार की आपाति घटना के 7 दिनों के भीतर इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

ख. आपाति घटना में किसी पार्टी द्वारा सीमित टेंडर जांच / बोली एवं इस अनुबंध के किसी भी निबंधन व शर्त को खंडित / उल्लंघन करने जैसी घटनाएँ शामिल नहीं होगी। इसमें किसी भी पार्टी द्वारा इस अनुबंध के अधीन अपेक्षित निर्धारित / प्रस्तावित सावधानी को कार्यान्वित करने में हुई किसी प्रकार की चूक भी शामिल नहीं होगी।

15. ईसीजीसी एवं सह समीक्षक का संबंध

क. इस समझौते में ईसीजीसी एवं सह समीक्षक / सह समीक्षक की टीम अथवा नियोक्ता - कर्मों , प्रधान एवं एजेंट अथवा भागीदारों अथवा संयुक्त उपक्रमों , के बीच किसी प्रकार का न्यासीय संबंध नहीं स्थापित होगा।

ख. इस अनुबंध के शर्तों के अधीन कोई भी पार्टी का अन्य पार्टी को स्वीकृत शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से बाध्य नहीं कर सकती।

ग. ईसीजीसी का इस अनुबंध में उल्लिखित निबंधनों के अधीन स्वीकृत निबंधनों के अलावा सह समीक्षक अथवा सह समीक्षक की टीम के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।

16. अहस्तांतरण

इस अनुबंध के अधीन ईसीजीसी के लिखित स्वीकृति के बिना सह समीक्षक द्वारा किसी भी हित , अधिकार , सुविधा अथवा दायित्व का अभ्यार्षण / अभिहस्तांकन नहीं किया जाएगा एवं इस प्रकार के किसी भी कार्य को अवैध माना जाएगा

17. क्षतिपूर्ति का भुगतान

क. सह समीक्षक द्वारा सीमित टेंडर जांच (एल टी ई) एवं इस समझौते में निर्धारित निबंधनों एवं आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। निष्पादन के विलंब के मामले में अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार एवं जहां सह समीक्षक का एकमेव दायित्व होने के मामले में सह समीक्षक द्वारा संविदा मूल्य के 1% की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की उत्तरदायित्व होगी।

ख. जब भी इस प्रकार की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लागू की जाती है तो ईसीजीसी द्वारा सह समीक्षक को की जाने वाली किसी लंबित अदायगी / भावी अदायगी में समायोजित कर ली जाएगी।

ग. लागू किए जाने वाले सभी परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति एक दूसरे से एक दम अलग

होंगे। औसत परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि किसी भी समय संविदा मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि इससे अधिक हो तो ईसीजीसी को अधिकार है कि वह इस समझौते को 15 दिनों का लिखित नोटिस दे कर निरसित कर दे एवं अनुबंध के अधीन उपलब्ध अन्य उपाय करे।

घ. परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की किसी प्रकार की वसूली से सह समीक्षक को इस अनुबंध में उल्लिखित दायित्वों से एवं कार्य को पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं करती।

18. परिसमापन

ईसीजीसी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में 15 दिनों की लिखित नोटिस देते हुए समझौते को समाप्त किया जा सकता है :

- क. समझौते तथा / अथवा बोली के किसी निबंधन व शर्तों का सह समीक्षक द्वारा उल्लंघन
- ख. सह समीक्षक यदि स्वैच्छिक अथवा अन्यथा परिसमापन करे अथवा
- ग. यदि सह समीक्षक की सम्पत्तियों पर बंधन की कार्यवाही की गयी हो अथवा लगातार 7 दिनों तक बंधक रखे जाएँ।
- घ. यदि सह समीक्षक सीमित टेंडर जांच (एल टी ई) में निर्धारित समय सीमा पर कार्य को पूरा करने में असफल हो एवं यदि विस्तार का अनुमोदन प्रदान किया गया हो तो यह संविदा का उल्लंघन माना जाएगा। ईसीजीसी को अधिकार है की वह विलंब अथवा चूक के मामले में अनुबंध को रद्द करे अथवा समाप्त करे। इस प्रकार के विलंब अथवा चूक के कारण ईसीजीसी पर लगी आर्थिक अथवा अन्यथा अन्य दंडों की भरपाई सह समीक्षक द्वारा आर्थिक आधार पर भरपाई की जाएगी।
- ङ. यदि सह समीक्षक द्वारा निर्धारित अनुसार सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हो तो ईसीजीसी को अधिकार होगा कि वह सह समीक्षक के जोखिम, लागत एवं दायित्व पर वैकल्पिक बीमांकिक की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। यदि सह समीक्षक द्वारा संतोशजंका सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाएँ अथवा अनुबंध के कार्यान्वयन में विलंब हो तो ईसीजीसी को अधिकार है कि वह 15 दिनों की लिखित नोटिस देते हुए शेष अनुबंध को अपने इच्छा अनुसार किसी अन्य पार्टी को सौंपे। ऐसे मामले में शेष अनुबंध के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को ईसीजीसी द्वारा सह समीक्षक पर भारित किया जाएगा। अनुबंध के खंडनके पश्चात भी उप शर्तों क, ग, घ, ङ, च, छ, यह शर्त जारी रहेगी।
- च. यदि किसी भी अवस्था के दौरान यह पाया गया कि सह समीक्षक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।

- छ. जब ईसीजीसी के नोटिस में यह आए कि सह समीक्षक (अथवा सह समीक्षक की टीम के किसी सदस्य द्वारा) का एवं ईसीजीसी का तकनीकी बोली , वित्तीय बोली , सीमित टेंडर जांच अथवा इस अनुबंध के किसी शर्त के संबंध में हितों का टकराव हो।
- ज. दिवालियापन के कारण समापन :- ईसीजीसी द्वारा इस अनुबंध को लिखित नोटिस देते हुए समाप्त किया जा सकता है यदि उसे यह ज्ञात हो कि सह समीक्षक दिवालिया हो गया है अथवा दिवालिया होने वाला है , बशर्ते कि इस प्रकार का समापन कार्यवाही के अधिकार अथवा समापन के पश्चात ईसीजीसी को होने वाले उपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- झ. यदि सह समीक्षक द्वारा इसमें उल्लिखित किसी विवाद निवारण के अनुकरण में की गयी विधिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप लिए गए निर्णय की पूर्ति में विफल रहे।
- ञ. यदि किसी भी समय सह समीक्षक द्वारा प्रस्तुत निष्पादन सुरक्षा जमा क्षति की पूर्ति के 100% से अधिक हो तो।
- ट. यदि क्षति पूर्ति की राशि , क्षति पूर्ति शर्त में उल्लिखित राशि से अधिक हो तो ईसीजीसी का अधिकार होगा कि वह लिखित रूप में नोटिस देते हुए इस अनुबंध को समाप्त कर दे एवं इस अनुबंध के अधीन उपलब्ध अन्य उपायों का उपयोग करे।
- ठ. सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी को अनुबंध को समाप्त करने की आपनी मंशा के विषय में 30 दिनों की पूर्व सूचना देते हुए इस अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

ईसीजीसी को अधिकार होगा कि वह बिलों एवं इनवॉइसों सहित , सह समीक्षक के पास जमा बकाया राशि में से सह समीक्षक द्वारा देय देयों की वसूली करे।

19. खंडन/ समापन के परिणाम

- क. किसी भी कारण स्वरूप अनुबंध को निरसित किए जाने पर (चाहे अनुबंध में उल्लिखित शर्त के कारण ही क्यों न हो अथवा अन्यथा) , ईसीजीसी को अधिकार है कि वह सह समीक्षक द्वारा खंडनके कारण उत्पन्न हानि को कम करने के लिए सभी उपायों के अनुपालन को पूरा कराने हेतु इस प्रकार के दायित्वों एवं शर्तों को लागू करें एवं आवश्यक अनुसार स्पष्टीकरण दें एवं अनुबंध के कार्यक्षेत्र के कार्यान्वयन / निरंतर कायनवायन के संबंध में सह समीक्षक के दायित्वों को पूरा करने वाले अगले उत्तराधिकारी को संबन्धित कार्य सौंपें।

- ख. अनुबंध की अवधि पूरी होने के कारण , ईसीजीसी द्वारा कोई (आगे) और अनुबंध न किए जाने के निर्णय के फलस्वरूप , अनुबंध को निरसित किए जाने के मामले में इसमें उल्लिखित सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी द्वारा नियुक्त अगले उत्तराधिकारी अथवा व्यक्ति को पूर्ण सहयोग करेगा ताकि उत्तराधिकारी द्वारा इसमें उल्लिखित पर्याप्त सेवाएँ प्रदान की जा सके , भले ही लंबी अवधि के लिए इस प्रकार की सहायता करनी पड़े।
- ग. इस अनुबंध के खंडनके मामले में सह समीक्षक की सेवाएँ अनुबंध की समाप्ति की तारीख से समाप्त हो जाएंगी।
- घ. अनुबंध के खंडनके मामले में ईसीजीसी को अधिकार होगा कि वह नए बिड्स आमंत्रित करे एवं इस एल टी ई प्रक्रिया के अगले उत्तम (न्यूनतम) बोली वाले बोली कर्ता को आशय पत्र / अधिसूचना जारी करे।
- ङ. किसी भी अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ईसीजीसी सह समीक्षक को ईसीजीसी द्वारा देय एवं देय भुगतान में से ऐसी राशियों को प्रतिधारित कर सकता है जो सह समीक्षक के किसी कार्य/चूक/कमीशन के परिणामस्वरूप ईसीजीसी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक हो। इस अनुबंध के अधीन आने वाले दायित्वों को कार्यान्वित करते हुए सह समीक्षक की ओर से हुई चूक के कारण किसी भी हानी अथवा क्षति के मामले में, सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी को ऐसे किसी भी हानि , क्षति अथवा अन्य लागतों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- च. इस अनुबंध के अधीन आने वाले दायित्वों को कार्यान्वित करते हुए सह समीक्षक की ओर से हुई चूक के कारण किसी भी हानी अथवा क्षति के मामले में, सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी को ऐसे किसी भी हानि , क्षति अथवा अन्य लागतों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- छ. इसमें उल्लिखित खंडनकिसी भी पक्ष के प्रोद्भूत अधिकार अथवा देयता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही इस अनुबंध के प्रावधानों, जो कि इस प्रकार के खंडनकी तारीख अथवा उसके पश्चात प्रभावी हों अथवा प्रभावी होने वाले होने , के परिचालन को प्रभावित करेगा।

20. विवाद निवारण , प्रबंधन कानून एवं सीमक्षेत्र

- क. इस अनुबंध के प्रावधानों के अस्तित्व , व्याख्या एवं अनुप्रयोग से संबन्धित कोई विवाद अथवा मतभेद के मामले में सभी पार्टियों द्वारा पहले आपसी परामर्श से विवाद एवं मतभेद को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
- ख. यह अनुबंध भारत में व्याप्त नियमों के आधार पर तैयार किया जाएगा । इस अनुबंध के संबंध में उत्पन्न विवादों को मुंबई स्थित न्यायालयों के विशेषाधिकार क्षेत्र में ही प्रस्तुत किए जाएँ।

ग. अनुबंध की निरंतरता : भले ही इस अनुबंध के अधीन इसके संबंध में आपसी मतभेद अथवा विवाद (यदि कोई हो तो) न्यायालय में लंबित हो जब तक संविदा को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक पार्टियों द्वारा इस अनुबंध के प्रावधानों के अधीन परिचालनों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कार्यक्षेत्र के अधीन इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुकरण में कार्य का निष्पादन जारी रखा जाएगा।

21. उपनुबंध :

- क. सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी के लिखित अनुमोदन के बिना उन्हें सौंपे गए किसी भी कार्य, सेवा, अथवा जो एक सफल बोली कर्ता द्वारा संविदा के अधीन पूरा किया जाने वाला अन्य निष्पादन को पूरा करने के लिए किसी अन्य के साथ उप संविदा नहीं स्थापित कर सकता है। सह समीक्षक द्वारा उसके स्वयं के कार्मिक के अलावा किसी अन्य द्वारा इस अनुबंध के अधीन कोई कार्य / सेवा लिया जाना मान्य नहीं होगा। आगे सह समीक्षक के फार्म द्वारा संघीय सेवा अथवा संघ की स्थापना करना एवं उप परामर्शदाताओं की नियुक्ति मान्य नहीं होगी एवं इस प्रकार के प्रस्तावों को मूल्यांकन अवस्था में ही नामंजूर कर दिया जाएगा।
- ख. यदि किसी उप संविदाकार को इस प्रकार की अनुमति दी जाती है तो सुनिश्चित किया जाये कि वह इस एल टी ई एवं अनुबंध की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे।
- ग. ईसीजीसी द्वारा उप संविदाकार (रों) को दिये गए इस प्रकार के अनुमोदन से सह समीक्षक इस अनुबंध के अधीन अपने किसी भी दायित्व अथवा जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता एवं जैसा कि एल टी ई में उल्लिखित है, सह समीक्षक इस अनुबंध के अधीन उप समीक्षक द्वारा निष्पादित सेवाओं सहित सभी सेवाओं के लिए ईसीजीसी के प्रति जिम्मेदार होगा।
- घ. लागू कानून के अधीन , सह समीक्षक , इस अनुबंध के संबंध में किसी एल टी ई अथवा किसी अन्य उप संविदाकार के साथ किए गए उसके समझौते के किसी भी निबंधन अथवा शर्त के उल्लंघन , अवहेलना, जानबूझ कर की गयी चूक , धोखाधड़ी के लिए ईसाईजीसी के प्रति जिम्मेदार होगा।
- ङ. इस अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए इस प्रकार के उप संविदाकार ईसीजीसी के प्रति जिम्मेदार होंगे एवं ईसीजीसी द्वारा इस अनुबंध के संबंध में इस प्रकार के उप संविदाकार पर दावा दायर किया जा सकता है।

22. सम्पूर्ण अनुबंध

एल टी ई में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तें तथा सफल बोली कर्ता के बिडों को एक साथ

पढ़ा जाए एवं ये इस अनुबंध के महत्वपूर्ण अंश माने जाएँगे एवं वे सभी एक साथ मिल कर एक सम्पूर्ण अनुबंध माने जाएँगे। यह अनुबंध इस विषय पर इसके पूर्व किसी अन्य पार्टी के साथ किए गए सभी संविदाओं / अनुबंधों , प्रतिवेदनों के स्थान पर होगा।

23. कानूनों का अनुपालन

सह समीक्षक द्वारा इस अनुबंध के निष्पादन के दौरान भारत में व्याप्त कानूनों का पूर्ण अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

24. सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन

सह समीक्षक द्वारा ईसीजीसी की सूचना सुरक्षा नीति का पालन किया जाएगा। यदि सह समीक्षक / फर्म द्वारा इस नीति का उल्लंघन पाया जाये तो ईसीजीसी को अधिकार है कि वह अनुबंध एवं लागू कानूनों के अधीन उल्लंघन , संबन्धित राहत एवं क्षतिपूर्ति के लिए अन्य उपायों के साथ साथ संविदा को भी समाप्त करें।

25. नोटिस

“नोटिस” से तात्पर्य है ;

- i. एक नोटिस ; अथवा
- ii. इस अनुबंध के अधीन लिखित रूप में आवश्यक अन्य पत्राचार।

इस अनुबंध के अधीन प्रावधान किए गए अथवा मंजूर सभी नोटिस, अनुरोध अथवा स्वीकृतियाँ , मंजूरी अथवा अनुमोदन अथवा अन्य सभी पत्राचार लिखित रूप में किए जाने होंगे एवं वे मात्र तब ही प्रभावी माने जाएँगे जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से अथवा पूर्व प्रमाणित मेल / पंजीकृत मेल द्वारा भेजे जाएगा, वापसी रसीद उपलब्ध होगी , निम्नानुसार संबोधित किया जाये एवं मेल भेजने के दो दिनों के बाद ही प्राप्त हो अथवा यदि व्यक्तिगत रूप से लाया गया हो तो उसी तारीख को प्राप्त हो:

प्रति ईसीजीसी लिमिटेड ,

बीमांकिक विभाग

ईसीजीसी लिमिटेड ,

10 वीं मंज़िल, एक्सप्रेस टॉवर्स
नरीमन पॉइंट , मुंबई - 400021

प्रति,

सह समीक्षक :

<पता>

<फोन:>

<फैक्स:>

किसी भी पार्टी द्वारा उन पतों जहां पत्राचार किया जाना है, में उक्त पद्धति में अन्य पार्टी को नोटिस देते हुए संशोधन किया जा सकता है।

26. छूट

- क. इस अनुबंध के प्रावधान में किसी प्रकार की छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक संबन्धित पार्टी द्वारा अपने अधिकारों को छोड़ने संबंधी जानकारी हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में नहीं दे दी जाती।
- ख. इस अनुबंध में उल्लिखित प्रावधानों अथवा किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन में किसी भी पार्टी द्वारा दी गयी छूट को छूट नहीं माना जाएगा।
- ग. किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी समय इस अनुबंध के प्रावधानों को प्रभावी करने में असमर्थता को प्रावधान में छूट नहीं माना जाएगा।

27. संशोधन

अनुबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन को प्रत्येक पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाना होगा एवं उसे अनुबंध के साथ अनुलग्नक के रूप में अथवा परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाना होगा।

28. सहयोग

इस अनुबंध के प्रत्येक पार्टी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वे इस अनुबंध के प्रावधानों को पूरा करने एवं उसमें उल्लिखित सभी समव्यवहारों के लिए आवश्यक सभी कार्यान्वयन को पूरा किया जाएगा एवं सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाएगा एवं सभी आवश्यक उपाए किए जाएँगे।

निरंतरता

इस अनुबंध की समाप्ति अथवा खंडन के बावजूद , इस अनुबंध में उल्लिखित वे प्रावधान , जिन्हें निरंतरता हेतु निर्मित किया गया है वे निरंतर बने रहेंगे।

29. सत्यनिष्ठा

सह समीक्षक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है एवं वचन दिया जाता है कि वे ईसीजीसी के किसी भी कर्मी जो हमारे प्रस्ताव / बोली / टेंडर / संविदा की प्रक्रिया तथा / अथवा अनुमोदन में शामिल है को प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से , हमारे प्रस्ताव / बोली / टेंडर / संविदा की प्रक्रिया तथा / अथवा अनुमोदन की प्रक्रिया के पूर्व अथवा के दौरान अथवा पश्चात किसी भी प्रकार का लाभ के विनिमय में किसी प्रकार की वस्तु अथवा कोई अन्य सुविधा , जिसका वे कानूनी रूप से पात्र नहीं हैं, प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा।

इस के साक्ष्य में कि इसकी पार्टियों द्वारा ऊपर लिखे दिन एवं वर्ष के लिए अपनी-अपनी सामान्य लगा दी गयी हैं (अथवा इसके लिए अपने अपने प्रमुखों की मुहरें लगा दी हैं)।

बाध्यकारी हस्ताक्षर
ईसीजीसी लिमिटेड

बाध्यकारी हस्ताक्षर
सह समीक्षक

साक्ष्य :

साक्ष्य :

1.

2.

1.

2.

अनुबंध - 9

सत्यनिष्ठा संहिता

घोषणा

मैं / हम ----- , ----- मैं (फर्म का नाम, पूर्ण पता) एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/ती हूं एवं घोषणा करता / ती हूं कि मुझे फर्म द्वारा बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मैं, फर्म की ओर से एतद्वारा घोषित एवं प्रमाणित करता/ती हूं कि हमने एलटीई ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/2022 में उल्लिखित सभी निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार कर लिया है एवं हम नियुक्ति पत्र/अनुबंध/एलटीई के सभी निबंधनों एवं का पालन करेंगे।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हैं एवं वचन देते हैं कि हमने प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से हमारे प्रस्ताव / बोली / टेंडर / संविदा की प्रक्रिया तथा / अथवा अनुमोदन की प्रक्रिया के पूर्व अथवा के दौरान अथवा पश्चात किसी भी प्रकार का लाभ के विनिमय में किसी प्रकार की वस्तु अथवा कोई अन्य सुविधा , जिसका वे कानूनी रूप से पात्र नहीं हैं, प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं रखा है ।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि एलटीई ईसीजीसी/एसीटीएल/पीआर/2022 के उत्तर में ईसीजीसी को प्रस्तुत मेरे / हमारे बोली के संबंध में मैं/हम..... एतद्वारा द्वारा वचन देते हैं कि मैं/हम हमेशा ही सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करेंगे एवं हितों के टकराव के मामले में तथ्यों को प्रकट करेंगे, हमें ज्ञात है कि कि सत्यनिष्ठा संहिता का कोई भी उल्लंघन मुझे/हमें पंजीकृत सलाहकारों की सूची से हटाने के लिए उत्तरदायी बना देगा, एवं मुझ / हम पर संविदाओं को रद्द करने , प्रतिबंधित करने , एवं अन्य कानूनी कार्यवाही आदि जैसी अन्य दंडात्मक तथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

नाम :

पदनाम :

पता :